राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

<u>पंचायत राज चुनावः</u>

पंचायत चुनाव में वाहनों के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश

झुंझुनू, 4 जनवरीः जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने आदेश जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो वाहन, पंचायत समिति और सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक-एक वाहन का उपयोग करने के निर्देश जारी किये है। आदेशानुसार पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल. मीणा ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बस, मिनी बस, ट्रक और मेटाडोर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आयोग के निर्देशाानुसार पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों एवं सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को जीप, कार, तिपहिया-टेम्पों, तांगा तथा ऊंट गाड़ी के उपयोग की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी से कम से कम 24 घण्टे पहले लेनी होगी और उन्हें वाहन संख्या, वाहन का प्रकार तथा वाहन चालक नाम व पते की लिखित सूचना भी रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के दौरान बताये गये वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर साईकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना निषेध रहेगा। मतदान के दिन भी जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति या परमिट के वाहन चलाते हुये पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य एवं सरपंच चुनाव के लिए सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किस स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

<u>कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शन पर रोकः</u> जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह या नारे दर्शाने वाले कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर आदि प्रदर्शित करने पर रोक लगाई है। आदेशों के तहत जिला परिषद सदस्य 20 हजार रूपये और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में अधिकतम 10 हजार रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित कर प्रदर्शित कर सकेंगे लेकिन उनका लेखा-जोखा परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में जिला पंचायती राज निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पोस्टर एवं बैनर अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो उसके लिए भी सम्बन्धित प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि किसी कि निजी सम्पति पर मकान मालिक की बिना अनुमति के झण्डे या बैनर नहीं

लगाये जा सकेंगे और ऐसा कहीं पाया गया तो उन्हें तत्काल हटा दिया जायेगा। पोस्टर, बैनर झण्डियां आदि प्रचार सामग्री पंचायत चुनाव के दौरान किसी सरकारी सम्पति पर नहीं लगाई जायेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि क्षेत्र में भी ऐसे पोस्टर या बैनर तथा झण्डे नहीं लगाने दिये जाएंगे। मतदान के दिन निर्वाचन बूथों पर 2 बाई 5 फीट के आकार का एक ही बैनर लगाया जा सकेगा।

232 रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आज

झुंझुनू, 4 जनवरी: जिला प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त 232 रिटर्निंग अधिकारियों (आर.ओ. पंच-सरपंच चुनाव) का प्रशिक्षण मंगलवार को प्रातः 10 बजे से सूचना केन्द्र के सभागार में आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर के.एल. मीणा प्रशिक्षण विशेषज्ञ राजकीय सीनियर स्कूल बुडाना के प्रधानाचार्य पितराम सिंह गोदारा चुनाव सम्बन्धी सभी तरह की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आवश्यक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित होवें अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। आठों पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी व मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग जिला परिषद सभागार में दोपहर 2 बजे से प्रारम्भ होगी।

पंचायत चुनावों के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश

झुंझुनू, 4 जनवरी: जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके पंचायत चुनावों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश जारी किये है। उन्होंने आगाह किया है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले आपराधिक तत्वों को सूचीबद्ध किया जाये और गड़बड़ी फैलाने पर उनके विरूद्ध कानून सम्मत कठोर कार्रवाई अमल में लायी जाये।

जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस एवं उपखण्ड अधिकारियों तथा तहसीलदारों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाये जो हाल ही में किसी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर छूटे हो, किसी उपद्रव में संलिप्त रहे हो, हिस्ट्री शिटर हो, विगत चुनावों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने व चुनावी अपराधों में आस्कत रहे हो, हाल ही में बाहर से आकर यहां रहने लगे हो और भगौड़े व्यक्ति जो फरार घोषित किये गये हो की सूची थानावार व वार्ड वार तैयार करके उनके विरूद्ध समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लायी जाये और इन्हें चुनाव के दौरान शान्ति बनाये रखने के लिए भारी प्रतिभूतियों एवं मुचलकों पर नेक चलनी के लिए पाबन्द किया जाये।

जिला कलेक्टर ने पुलिस एवं चुनाव व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि वे मतदाताओं को डराने व धमकाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी चौकसी रखते हुए मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने दे और मतदान के दिन सभी मतदाता निर्भीक और निडर होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने चुनाव के दौरान धन बल, बाहूबल व शस्त्र बल को भी हर कीमत पर नियंत्रित करने के निर्देश देते हुए ऐसे तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत भी दी है। उन्होंने जिले की सीमा में अवैध वाहनों एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश, अवैध हथियारों एवं गोला-बारूद रखने वालों की खोजबीन करने, शराब माफियों की पहचान करने, शस्त्र अनुज्ञाधारियों द्वारा थानों में हथियार नहीं जमा कराने वालों की सूची तैयार करने, अवैध शराब की बिक्री करने

एवं बनाने वालों के विरूद्ध भी चुनाव के दौरान विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। उन्होंने ऐसे लोगों के विरूद्ध की गई कार्रवाई से प्रशासन को भी समय-समय पर अवगत कराने के निर्देश दिये है।

पंचायत चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

झुंझुनू, 4 जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके कलेक्ट्रेट में चुनाव सम्पन्न होने तक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जिसका प्रभारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक योगमित्र दिनकर को बनाया गया है। यह नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर 114 में स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 01592-232237 और 234402 है। आदेशानुसार यह नियंत्रण कक्ष तीन पारियों में चुनाव समाप्ति तक चलाया जायेगा। प्रथम पारी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी पारी 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और तीसरी पारी रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक चलायी जायेगी। नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिक प्राप्त होने वाली सूचनाओं का रजिस्टर संधारित करेंगे और इसकी सूचना नियंत्रण अधिकारी को भी समय-समय पर देते रहेंगे।

सर्किट हाउस एवं डाक बंगलों में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

झुंझुनू, 4 जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के राजकीय विश्राम गृहों एवं डाक बंगलों व अन्य सरकारी आवासों में राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के निर्देश जारी किये है। आदेशानुसार मंत्री गण एवं अन्य जन प्रतिनिधि राज्य में चुनाव समाप्ति तक पंचायत क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर नहीं जाएंगे। पंचायत चुनावों के दौरान मंत्री गण व अन्य जन प्रतिनिधि विश्राम गृहों, डाक बंगलों व अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव सम्बन्धी किसी प्रचार-प्रसार की गतिविधि के लिए नहीं कर सकेंगे। इस दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारी मंत्री गण के दौरों के दौरान प्रोटोकोल व्यवस्था में भी नहीं जाएंगे।

------

14 वें शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का आगाज कल

झुंझुनू, 4 जनवरी: जिला प्रशासन, उद्योग केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति लगने वाले 14 वें शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का आगाज बुधवार को अपराह्न 2 बजे ग्रामीण हाट आबूसर में किया जायेगा। जिला कलेक्टर एवं मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उद्योग विभाग के आयुक्त राजहंस उपाध्याय होंगे।

उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनीराम ने बताया कि 6 से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले में 110 स्टाले लगाई जाएंगी। मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बुधवार (6 जनवरी) को मेले के शुभारम्भ के दिन दोपहर 12 बजे गांधी चौक से जिला परिषद सर्किल तक शोभा यात्रा निकाली जायेगी। शोभा यात्रा को अपर कलेक्टर के.एल. मीणा हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के उद्घाटन के दौरान मेले के मुख्य द्वार पर न्यू राजस्थान बालिका पी.जी. महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा राजस्थानी परिधान में मुख्य अतिथि का राजस्थानी परम्परा से तिलक लगाकर आरती द्वारा स्वागत किया जायेगा। मेले के उद्घाटन व समापन के अवसर पर जी.बी. मोदी उच्च मा. विद्यालय व सी.ओ. स्काउट के छात्र-छात्राओं द्वारा बैण्ड प्रदर्शन किया जायेगा। नगर परिषद की ओर से मुख्य द्वार पर ही मेला अवधि के दौरान शहनाई एवं नंगारची वादक की व्यवस्था की जायेगी। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा पांच

सफेद कबूतर उड़ाकर किया जायेगा। तत्पश्चात गणेश वंदना राजस्थानी शिशु विद्या मंदिर के छात्र-छात्राओं द्वारा की जायेगी। इस दौरान परम्परागत वेशभूषा में सजे हुये 100 सीनियर छात्र-छात्राओं द्वारा रंगीन गुब्बारे भी उड़ाये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राणी सती बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा जबकि जे.बी. शाह बालिका महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे। नगर पालिका मण्डावा के सौजन्य से मण्डावा की ढ़फ मण्डली द्वारा ढ़फ व चंग नृत्य और न्यू राजस्थान बालिका पी.जी. महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा लोक संगीत के रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी से 14 जनवरी तक प्रतिदिन दिन में परम्परागत ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा जबकि सायं काल 6 बजे से 8 बजे तक रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी।

जनवरी में नसबन्दी सेवा के 43 शिविर लगेंगे

झुंझुनू, 4 जनवरी : जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रमान्तर्गत इस माह नसबन्दी सेवा के 43 शिविर आयोजित होंगे। माह का प्रथम शिविर शुक्रवार को मण्ड्रेला में लगाया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ. विद्या सागर ने बताया कि 5 अप्रेल को सिंघाना, 7 को मुकुन्दगढ़, 8 को पीपली, 9 को नवलगढ़ व बुहाना, 13 अलसीसर, सूरजगढ़ व जसरापुर, 14 को बिरमी, पचेरी कलां व बसावा, 15 को टीबा बसई व इस्लामपुर, 16 को जाखल, खेतड़ी व मलसीसर, 17 को चंवरा व बबाई, 18 को सिंघाना व चनाना, 19 को बगड़, 20 को चिराना, उदयपुरवाटी व पपूरना, 21 को मणकसास व भडौन्दा कलां, 23 को पिलानी व रसूलपुर, 24 को मण्डावा व पचलंगी, 25 को गुढ़ा व शिमला, 26 को बुहाना व माण्डासी, 27 को सुलताना व नवलगढ़, 28 को बड़ागांव, सोहली व बींजूसर, 29 को खेतड़ी तथा 30 जनवरी को पौंख व टमकोर में नसबन्दी सेवा शिविर आयोजित होंगे।